10.02.2025 पत्रावली पेश। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित।
अप्रार्थीगण को नोटिस तामील कि डिलीवरी रसीद पेश, अप्रार्थीगण अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन बार आवाज लगाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा कोला रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का चौरा में प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा-काश्त के खेत खाता संख्या 138 में खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.64 है० खसरा नम्बर 1281/[illegible] रकबा 1.62 है०, खसरा 1281/1958 [illegible] कुल रकबा 2.50 है०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वादग्रस्त भूमि नथा पुत्र रामा ने अपनी पत्नि अका को सन 1974 में बख्शीश कर दी थी, उका का इकलौता ~~पुत्र~~ पुत्र प्रार्थी के पिता भोडा पुत्र उका थे। जिसने भगवाना पुत्र को भूमि गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी थी। जिससे आपसी समझौता व [illegible] कर उक्त भूमि पुनः प्रार्थी को सुपुर्द की थी। तथा लिखमा, भगवाना पुत्र भोडा द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान करने का प्रस्ताव पुनः प्रार्थी द्वारा दिया गया था तथा प्रार्थी को उक्त भूमि मौखिक रूप से बेचान कर दी थी। तथा उक्त भूमि अग्रक्रय अधिकार के तहत प्रार्थी को खरीद करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन उसके बावजूद भी उक्त अग्रक्रय अधिकार से प्रार्थी को वंचित कर लिखमा, भगवाना पि० भोडा ने वादग्रस्त आराजी का बेचान अवैध व गैर कानूनी रूप से कर दिया, जबकि मौके पर कब्जे का हस्तान्तरण नहीं ~~हुआ~~ हुआ है मौके पर आज दिन भी प्रार्थी के मिल्कियत कब्जे में रहवासीय पुरानी ढाणी, मकान, कुए स्थिर है वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि है। जिसमें प्रत्येक कण-कण में प्रार्थी का हक हिस्सा मौजूद है अप्रार्थीगण संयुक्त भूमि का नाजायज फायदा उठाकर अवैध ~~तरि~~ तरीके से किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर प्रार्थी को उसकी संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर तुले हुए है यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन ~~xx~~ कतई रूपयों में आंकलन नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा [illegible] प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत [illegible] अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही [illegible] निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु (i) मामला प्रथम दृष्टया (ii) सुविधा का संतुलन तथा (iii) अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पर प्रार्थी का सारहीन, पोषणीय नहीं होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner